संख्या– 20/1/91–का–2–2012

प्रेषक,

राजीव कुमार,
प्रमुख सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

समस्त प्रमुख सचिव/सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

कार्मिक अनुभाग–2

लखनऊ : दिनॉक 18अप्रैल, 2012

विषय : भर्ती/नियुक्ति पर प्रतिबन्ध।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक समसंख्यक शासनादेश दिनॉक 15 मार्च, 2012 का कृपया संदर्भ ग्रहण करें। उक्त शासनादेश द्वारा सभी प्रकार की भर्तियों को (लोक सेवा आयोग के माध्यम से की जाने वाली भर्ती तथा मा0 न्यायालय के आदेशों के अनुपालन में की जाने वाले भर्ती को छोड़कर) तात्कालिक प्रभाव से प्रतिबन्धित किया गया है।

2. सम्यक विचारोपरान्त मृत सरकारी सेवकों के आश्रितों के सेवायोजन को भी प्रतिबन्ध से मुक्त किये जाने का शासन द्वारा निर्णय लिया गया है। भर्ती पर लगाये गये शेष प्रतिबन्ध, जैसाकि उक्त वर्णित शासनादेश दिनॉक 15.03.2012 में वर्णित हैं, अग्रिम आदेशों तक यथावत रहेंगे।

3. उपर्युक्त के क्रम में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि प्रस्तर–1 में उल्लिखित शासनादेश दिनॉक 15 मार्च, 2012 को उक्त सीमा तक संशोधित समझा जाय। कृपया लिये गये निर्णय का अनुपालन सुनिश्चित करते हुये, अपने अधीनस्थ समस्त नियुक्ति प्राधिकारियों को भी तदनुसार निर्देशित करने का कष्ट करें।

भवदीय,

(राजीव कुमार)
प्रमुख सचिव।

संख्या– 20/1/91(1)–का–2–2012, तद्दिनॉक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :

1. प्रमुख सचिव, श्री राज्यपाल, उत्तर प्रदेश।
2. प्रमुख सचिव/सचिव, मा. मुख्यमंत्री जी।
3. प्रमुख सचिव, विधान परिषद/विधान सभा, उत्तर प्रदेश।
4. समस्त विभागाध्यक्ष/प्रमुख कार्यालयाध्यक्ष, उत्तर प्रदेश।
5. समस्त मण्डलायुक्त/जिलाधिकारी, उत्तर प्रदेश।
6. वेब अधिकारी/वेब मास्टर, नियुक्ति एवं कार्मिक विभाग, उ0प्र0।
7. सचिवालय के समस्त अनुभाग।

आज्ञा से,

(एच0एल0 गुप्ता)
विशेष सचिव।